



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19032020-218787
CG-DL-W-19032020-218787

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3] नई दिल्ली, मार्च 1—मार्च 7, 2020, शनिवार/ फाल्गुन 11—फाल्गुन 17, 1941
No. 3] NEW DELHI, MARCH 1—MARCH 7, 2020, SATURDAY/PHALGUNA 11—PHALGUNA 17, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

j{k k e=ky ;

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2020

dk-fu-vk- 4—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना आर्डनेंस कोर, प्रधान सिविलियन स्टाफ आफिसर (भंडार) और ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (भंडार) और सिविलियन स्टाफ आफिसर (भंडार) समूह “क” पद भर्ती नियम 2013, जहां तक ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर के पद से संबंधित है, को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, सेना आर्डनेंस कोर में ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (भंडार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. If{k l r uke vkj ikjHk-& (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना आर्डनेंस कोर, ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (भंडार) समूह “क” पद भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ink dh l i ; k oxh d j . k vkj oru efV D l e L r j -& उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. Hkrh dh i)fr] vk;&lhek] vgirk, vkfn-&भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. fujgirk-&वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. f'kfky dju dh 'kfDr-&जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. 0;kofrr.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

vu l ph

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (भंडार)	07' (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (78800 209200 रु0) में स्तर 12	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

Hkrh dh i)fr] भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति, जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा;	iklufr] वेतन मैट्रिक्स (67,700-2,08,700 रु0) में स्तर 11 में ऐसा सिविलियन स्टाफ आफिसर (भंडार) जिसने नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । fVli.k 1] जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । fVli.k 2] प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन

	आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर पर की गई समझा जाएगा। ifrfu;fDr § केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी— (अ) (i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67,700–2,08,700 रु०) में स्तर—11 या समतुल्य के पदों में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; (iii) सशस्त्र बल के कार्मिकों को वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 में मेजर रैंक या समकक्ष के पद से नीचे नहीं (69400- 207200 रु०) नियमित आधार पर पद पद नियुक्ति के बाद प्रदान की गई पांच साल की सेवा की हो, और (ब) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन में एमबीए या स्नातकोत्तर डिप्लोमा; (ii) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 में वस्तु सूची प्रबंधन या उपापन प्रकार्य या परिवहन प्रबंधन में तीन वर्ष का अनुभव। IVli.k1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। IVli.k 2—प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। IVli.k 3 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
leg'd'foHkxh; ikuUfr lfeFr %ikuUfr d l c/k e fopkj dju d fy, % ft l e fuEufyf[kr gkx %& 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव(सेना), रक्षा मंत्रालय —सदस्य 3. महानिदेशक या अपरमहानिदेशक आयुध सेवा —सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं.पीसी-ए/24821/आर आर-एससीएसओ(एस)/ओ एस-8डी/70/2020/डी(नियुक्ति)]
एस.एस.एस. शर्मा, निदेशक (स्था./सी पी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 26th February, 2020

S.R.O. 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Army Ordnance Corps, Principal Civilian Staff Officer (Stores) and Senior Civilian Staff Officer (Stores) Group 'A' posts, Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the post of Senior Civilian Staff Officer (Stores), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Civilian Staff Officer (Stores) in the Army Ordnance Corps, namely:—

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Army Ordnance Corps, Senior Civilian Staff Officer (Stores) Group 'A' post Recruitment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification, level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Civilian Staff Officer (Stores) Army Ordnance Corps	7*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial	Level 12 in the pay matrix (Rs. 78800 – 209200)	Selection post

Age-limits for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a departmental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Civilian Staff Officer (Stores) in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700 – 208700) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite Qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission - Chairman 2. Joint Secretary (Army), Ministry of Defence - Member 3. Director General Ordnance Service or Additional Director General Ordnance Service - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2016 the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation: Officers under the Central Government or State Government Union territories, Autonomous or statutory organisation, public Sector undertakings or Recognised Research Institution- (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of service rendered after appointment to the post on regular basis in Level 11 in pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) Armed Forces Personnel not below the rank of Major or equivalent in level-11 in the pay matrix (Rs. 69400-207200) with five years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis (B) possessing the following educational qualifications and experience: (i) MBA or Post Graduate Diploma in Material Management from a recognised University or Institute; (ii) three years experience in inventory management or procurement function or transportation management in level-11 in Central Govt/State Govt/Union Territories. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications. Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
--	--	--

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2020

का.नि.आ. 05.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, ऐतिहासिक प्रभाग (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, ऐतिहासिक प्रभाग में निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, अनुसंधान सहायक और दौत्य कला सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, ऐतिहासिक प्रभाग (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. निदेशक	01*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12(78800-209200 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		
(11)		
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.) में ऐसे उप निदेशक जिसने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठन, के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन स्तर-11 (67700-208700 रु.) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो :- आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इतिहास में मास्टर डिग्री; और (ii) इतिहास में अनुसंधान कार्य या इतिहास में अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इतिहास में डॉक्टरेट डिग्री; और (ii) प्रशासन में पाँच वर्ष का अनुभव। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय - सदस्य 3. निदेशक (प्रशासनिक रूप से संबद्ध), रक्षा मंत्रालय - सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी को नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप निदेशक	02* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ऐसे सहायक निदेशक, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.) की श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट क्षेत्रों में दो से चार सप्ताह के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठन, के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) या वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो, अर्थात् :- आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इतिहास में मास्टर डिग्री; और (ii) इतिहास में अनुसंधान कार्य या इतिहास में अध्यापन का पाँच वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इतिहास में डॉक्टरेट डिग्री; (ii) प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (प्रशासनिक रूप से संबद्ध), रक्षा मंत्रालय - सदस्य 4. निदेशक, इतिहास प्रभाग, रक्षा मंत्रालय - सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (प्रशासनिक रूप से संबद्ध), रक्षा मंत्रालय - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

3. निदेशक, इतिहास प्रभाग, रक्षा मंत्रालय	- सदस्य
--	---------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. सहायक निदेशक	03* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु)	चयन

(6)	(7)
30 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इतिहास में मास्टर डिग्री। (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठन से इतिहास में दो वर्ष का अनुसंधान या अध्यापन का अनुभव। वांछनीय: (i) प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	1. 67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है 2. 33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति: अनुसंधान सहायक और दौत्य कला सहायक, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु) की श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट क्षेत्रों में दो से चार सप्ताह के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड या पद में निर्धारित अर्हक सेवा के अधिकारियों द्वारा पूरा करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठन, के अधीन ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर

नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष - अवर सचिव, (प्रशासनिक रूप से संबद्ध), रक्षा मंत्रालय - सदस्य - उप निदेशक या सदृश पद धारण करने वाला कोई अधिकारी, इतिहास प्रभाग रक्षा मंत्रालय - सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष - अवर सचिव, (प्रशासनिक रूप से संबद्ध) रक्षा मंत्रालय - सदस्य - उप निदेशक या सदृश पद धारण करने वाला कोई अधिकारी, इतिहास प्रभाग रक्षा मंत्रालय - सदस्य	सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी को नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. अनुसंधान सहायक	03* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400रु.)	लागू नहीं होता

(6)	(7)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इतिहास में मास्टर डिग्री। वांछनीय: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों से इतिहास में दो वर्ष का अनुसंधान या अध्यापन का अनुभव। टिप्पण 1 - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 - अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव

रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी छुट्टी या अध्ययन छुट्टी पर चले जाने या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिये हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएगी। (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400रु.) में पदों में नियमित पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हता और अनुभव रखते हों। (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, (प्रशासनिक रूप से संबद्ध), रक्षा मंत्रालय - सदस्य 3. उप निदेशक या सदृश पद धारण करने वाला कोई अधिकारी, इतिहास प्रभाग रक्षा मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.दौत्य कला सहायक	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400रु)	लामू नहीं होता

(6)	(7)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इतिहास में मास्टर डिग्री। (ii) डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत; या (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संस्कृत में मास्टर डिग्री; और (ii) डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में इतिहास। केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों से प्राचीन इतिहास में दो साल का अनुसंधान या अध्यापन का अनुभव।

नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	टिप्पण 1 – अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 – अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	---

(8)	(9)
लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी छुट्टी या अध्ययन छुट्टी पर चले जाने या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिये हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएगी। (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400रु) में पदों में नियमित पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हता और अनुभव रखते हों। (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष - अवर सचिव, (प्रशासनिक रूप से संबद्ध) रक्षा मंत्रालय - सदस्य - उप निदेशक या सदृश पद धारण करने वाला कोई अधिकारी, इतिहास प्रभाग रक्षा मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए./63702/सी.ए.ओ./भर्ती-II]

टी. सनधुप, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

New Delhi, the 28th February, 2020

S.R.O. 5 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, History Division, Group 'A' and Group 'B' posts Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director, Deputy Director, Assistant Director, Research Assistant and Heraldic Assistant in the History Division, Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, History Division (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in pay matrix .— The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc .— The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification .— No person, –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification
(1)	(2)	(3)
1. Director	01* (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, non-Ministerial

Level in the pay matrix	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(4)	(5)	(6)
Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200)	Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(10)
By promotion failing which by deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(11)

Promotion:

Deputy Director in the Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) with five years regular service in the grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract) :

Officers under the Central Government or State Government or Union Territories Administration or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisations:

- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- Essential :- (i) Master Degree in History from a recognised University or Institute; and (ii) Ten years Research or Teaching experience in History. Desirable :- (i) Doctorate Degree in History from a recognised University or Institute; and (ii) Five years experience in administration. Note: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Member 3. Director (administratively concerned), Ministry of Defence - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an Officer on deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Deputy Director	02*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700)

(5)	(6)	(7)	(8)
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)
Two years for promotees	By promotion failing which by deputation (including short-term contract)

(11)
Promotion : Assistant Director in Level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) with six years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in the areas as specified by the Competent Authority from time to time. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central Government or State Government or Union Territories Administration or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisations: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential: (i) Master Degree in History from a recognised University or Institute; and

(ii) Five years Research or Teaching experience in History.

Desirable:

(i) Doctorate Degree in History from a recognised University or Institute;

(ii) Two years experience in administration.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Member 3. Director or Deputy Secretary (administratively concerned), Ministry of Defence - Member 4. Director, History Division, Ministry of Defence - Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Chairman 2. Director or Deputy Secretary (administratively concerned), Ministry of Defence - Member 3. Director, History Division Ministry of Defence - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

(1)	(2)	(3)
3. Assistant Director	03* (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, non-Ministerial

(4)	(5)	(6)
Level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100)	Selection	Not exceeding 30 years.

(7)	(8)
Essential:- (i) Master's Degree in History from a recognised University or Institute. (ii) Two years Research or Teaching experience in History in Central or State Government or Union Territory administration or recognised Research Institution or Public Sector undertaking or Statutory or Autonomous organisation or University. Desirable:- (i) Two years experience in administration. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No

(9)	(10)
Two years for direct recruits	1. 67% by promotion failing which by deputation including Short Term Contract 2. 33% by direct recruitment.

(11)
Promotion Research Assistant and Heraldic Assistant in the Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with two years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in the areas as specified by the competent authority from time to time. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central Government or State Government or Union territory administration or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organisations: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for Direct Recruitment under column (7). Note: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- - Deputy Chief Administrative Officer, Office of Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Chairman - Under Secretary (administratively concerned), Ministry of Defence - Member - Deputy Director or an Officer holding analogous post from History Division, Ministry of Defence - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- - Deputy Chief Administrative Officer, Office of Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Chairman - Under Secretary (administratively concerned), Ministry of Defence - Member - Deputy Director or an officer holding analogous post from History Division, Ministry of Defence - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making Direct Recruitment and appointing an Officer on deputation (including short term contract)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Research Assistant	03* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400)	Not Applicable

(6)	(7)
Not exceeding 30 years. Note 1: Relaxable for Government Servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J and K State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	Essential: Master Degree in History from a recognised University or Institute. Desirable: Two years research or teaching experience in History in Central or State Government or Union Territory Administration or recognised Research Institution or Public Sector undertaking or Statutory or Autonomous Organisation or University. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)
Not Applicable	Two years

(10)
By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in posts in the Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400); and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under Column (7). (The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

(11)
Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of:- - Deputy Chief Administrative Officer, Office of Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Chairman - Under Secretary (administratively concerned), Ministry of Defence - Member - Deputy Director or an Officer holding analogous post from History Division, Ministry of Defence - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
5. Heraldic Assistant	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400)

(5)	(6)
Not Applicable	Not exceeding 30 years. Note 1: Relaxable for Government Servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J and K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

(7)
Essential: (i) Master Degree in History from a recognised University or Institute; and (ii) Sanskrit as one of the subject at Bachelor's Degree level. Or (i) Master Degree in Sanskrit from a recognised University or Institute; and (ii) History as one of the subject at Bachelor's Degree level. Desirable: Two years Research or Teaching experience in Ancient Indian History or Sanskrit in Central or State Government or Union Territory Administration or recognised Research Institution or Public Sector undertaking or Statutory or Autonomous Organisation or University. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)
Not Applicable	Two years

(10)
By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in posts in the level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400); and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column (7). (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

(11)	(12)	(13)
Not Applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of:- - Deputy Chief Administrative Officer, Office of Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Chairman - Under Secretary (administratively concerned), Ministry of Defence - Member - Deputy Director or an officer holding analogous post from History Division, Ministry of Defence - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A/63702/CAO/R-II]
T. SUNDUP, Dy. Chief Administrative Officer